



45

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक निगरानी/2019/

निगरानी-०३५२/२०१९/गुना। भू४९८

1- राधेश्याम मीना पुत्र देवीलाल मीना

2- गोविंदसिंह पुत्र देवीलाल मीना

3- श्रीराम पुत्र देवीलाल मीना

4- रामकैलाश पुत्र देवीलाल मीना

निवासीगण- ग्राम बडोदिया, तहसील
चाचौडा, जिला गुना.....आवेदकगण

बनाम

म.प्र.शासनअनावेदक

श्री लखन सिंह खाना. ६३-
द्वारा आज दि० २४/०२/१७ को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक ०८/०३/१७ नियत।

कलर्क जाफ़ काट २८/२-१९
गजरव मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता,
1959, न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के
प्रकरण क्रमांक 48/2017-18/अपील में पारित आदेश दिनांक 21.05.18
के विरुद्ध जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर निगरानी आवेदन पत्र निमानुसार प्रस्तुत है :-


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

- यहांकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 135/5 रकवा 1.500 हैक्टेयर जो ग्राम बडोदिया, तहसील चाचौडा, जिला गुना में स्थित है। उक्त विवादित भूमि को विक्रय किये जाने हेतु एक अनुबंध पत्र दिनांक 15.06.02 मांगीलाल काछी ने अपीलार्थीगण के हित में संपादित किया था। उक्त अनुबंध पत्र का मांगीलाल के द्वारा पालन न करने पर आवेदकगण द्वारा (मृतक) मांगीलाल पुत्र रामदयाल काछी के विरुद्ध एक सिविल दावा प्रकरण के 137ए/2001 प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 16.07.02 को समझौता पेश कर पंजीयन कराने का निवेदन कर वाद को डिक्की करवाया, वाद डिक्की होने के बाद मांगीलाल ने उसका पालन नहीं किया, तब आवेदकगण की ओर से एक प्रबंतन कार्यवाही के लिये आदेश 21 सी.पी.सी.के तहत पालन कराने हेतु पेश किया गया उक्त कार्यवाही के दौरान मांगीलाल की मृत्यु हो गई, तब उसके बारिसान अभिलेख पर लिये गये माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.02 एवं संसोधित डिक्की दिनांक 31.10.13 के पालन के दौरान ज्ञान ग्रामालय ने विक्रेता मांगीलाल के बारिसान की ओर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 342 / 2019 / गुना / भू०रा०

राधेश्याम मीना आदि विरुद्ध म0प्र0 शास्त्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकर्त्ता एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-8-2019	<p>आवेदक अभिभाषक श्री लखनसिंह धाकड़ उपस्थित। अनावेदक शासकीय अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित। 2/ आवेदक अभिभाषक ने मौखिक रूप से प्रकरण आगे संचालित न कर इसी स्तर पर समाप्त करने का अनुरोध किया। आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>   <p>(जे ०क०० जैन) सदस्य</p>	